रजिस्टर्ड नं० एल० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 30 सितम्बर, 1973
आश्विन 8, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 3256/सत्रह--वि०--1--91-73
लखनऊ, 30 सितम्बर, 1973

विज्ञप्ति
विविध

दिनांक 30 सितम्बर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 18, सन् 1973)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

1973 का 33

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :--

संक्षिप्त नाम

1--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973 है।

धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 म— 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 36

(क) उपधारा (1) में "30 सितम्बर, 1973" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "30 सितम्बर, 1974" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में "दो लाख" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख" शब्द रखे जाएंगे।

वराहगिरि वेंकटगिरि,
राष्ट्रपति।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार।

अधिनियमन के कारण

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया था कि तीन मास की अवधि के दौरान शहरी सम्पत्ति के अन्तरण पर रोक लगाई जा सके। ऐसा कदम उठाना इसलिए आवश्यक समझा गया था क्योंकि यह आशंका थी कि उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति अधिकतम सीमा विधेयक पर, जो राज्य विधान सभा में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका था, विचार होने और उसके पारित होने तक कुछ लोग उक्त विधेयक के प्रयोजन को ही निष्फल करने की दृष्टि से अपनी शहरी सम्पत्ति अन्तरित कर सकते थे।

2—उक्त विधेयक अभी विधि नहीं बना है। इसलिए उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 के कार्यकाल को समय-समय पर बढ़ाना आवश्यक समझा गया और अन्तिम संशोधन के अनुसार यह अधिनियम 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो रहा है। अधिकतम सम्पत्ति-सीमा विधेयक का उक्त तारीख से पूर्व विधि बन जाना सम्भाव्य नहीं है इसलिए अन्तरण पर निर्बन्धनों को 30 सितम्बर, 1974 तक जारी रखने की प्रस्थापना है।

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 के अधीन जिला कलक्टरों को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वे किसी व्यक्ति को अपनी ऐसी शहरी सम्पत्ति, यदि उसके कुटुम्ब के सदस्यों सहित उसके द्वारा धृत ऐसी सम्पत्ति का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक न हो, अन्तरित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं। इस सीमा को दो लाख रुपए से बढ़ा कर तीन लाख रुपए करने की प्रस्थापना है जिससे कि उन सभी व्यक्तियों को राहत मिल सके जिन पर उपर्युक्त अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक का प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

4—यह अधिनियम मूल अधिनियम का उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उचित रूप से संशोधन करने के लिए है।

5—इस विषय की अत्यावश्यकता को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कानून बनाने के लिए संसद की परामर्श समिति से परामर्श किया जा सके। अतएव यह अधिनियम, परामर्श समिति को निर्देश के बिना अधिनियमित किया जा रहा है।

ए० एन० किदवई,
सचिव, भारत सरकार,
निर्माण और आवास मंत्रालय।

No. 3256 (2) /XVII-V—1-91-73
Dated Lucknow, September 30, 1973

THE following President's Act enacted on September 30, 1973 is published for general information :

THE UTTAR PRADESH CEILING ON PROPERTY (TEMPORARY RESTRICTIONS ON TRANSFER) THIRD AMENDMENT ACT, 1973

Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India.

(PRESIDENT'S ACT No. 18 OF 1973)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972.

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows :— 33 of 1973.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Third Amendment Act, 1973. Short title.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972,— U. P. Act 36 of 1972. Amendment of section 3.

(*a*) in sub-section (1), *for* the word and figures "September 30, 1973", the word and figures "September 30, 1974" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (5), *for* the words "two lakhs", the words "three lakhs" shall be *substituted*.

V. V. GIRI,
President.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

Reasons for the enactment

The Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972, was enacted with a view to banning transfer of urban properties during a period of three months. Such a step was considered necessary because it was apprehended that pending consideration and passage of the Uttar Pradesh Urban Property (Ceiling) Bill which had already been introduced in the State Legislative Assembly, some persons might transfer their urban properties with a view to defeating the very purpose of the said Bill.

2. The said Bill has not yet become law. So it was considered necessary to extend the life of the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972, from time to time and according to the latest amendment, the Act expires on 30th September, 1973. As the Ceiling Bill is not likely to become law before the said date, it is proposed to continue the restrictions on transfer till September 30, 1974.

3. Under the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972, the District Collectors are authorised to permit any person to transfer his urban property if the value of such property held by him along with the members of his family does not exceed two lakhs of rupees. It is proposed to raise this limit from rupees two lakhs to rupees three lakhs so as to provide relief to all those persons who are not likely to be affected by the aforesaid Ceiling Bill.

4. The present measure seeks to amend the principal Act suitably for the above purposes.

5. In view of the urgency of the matter it is not practicable to consult the Consultative Committee of Parliament on Uttar Pradesh legislation. The measure is accordingly being enacted without reference to the Consultative Committee.

A. N. KIDWAI,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Works and Housing.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—201 गजट (एच०)—1973—2065+400 (मे०)।